

न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / 11 / 2024

मुकेश पुत्र मानसिंह जाति जाट निवासी टोहिला तहसील नदवई जिला भरतपुर
.....अपीलान्ट

वनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायव तहसीलदार लखनपुर, तहसील नदवई
..... रेस्पों

अपील अन्तर्गत अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध आदेश दिनांक 28.3.2024 नायव तहसीलदार लखनपुर तहसील नदवई। प्रकरण संख्या 04/2024 उनवान राज०सरकार जरिये पटवारी हल्का वनाम मुकेश।

दिनांक 6.09.2024

निर्णय

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध रेस्पों व खिलाफ आदेश नायव तहसीलदार लखनपुर दिनांक 28-03-2024 पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 28-03-2024 में अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 385 रकवा 0.12 है० में से 0.005 है० किस्म गै०मु० नाला ग्राम टोहिला पर किये गये अतिक्रमण से वेदखल किये जाने एवं पैलन्टी किये जाने की आज्ञा दी गई है। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पों एवं पत्रावली तहत तलब की गई। तहसीलदार नदवई के पत्रांक/राजस्व/24/95 दिनांक 9.7.2024 से प्राप्त तहत पत्रावली के साथ नत्थीबद्ध की गई। योग्य अभिभापक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभापक अपीलान्ट ने अपली में अंकित कथनों को दोहराते हुये बताया कि पटवारी हल्का ने विवादित आराजी के अतिक्रमण की जो रिपोर्ट की है वह गलत है। हाल आराजी खसरा नम्बर 385 का साविक आराजी खसरा नम्बर 190 रकवा 16 विस्वा है जो अपीलांट के पूर्वजों की शामिलती पट्टी है। विवादित आराजी गेर मुमकिन नाला कभी नहीं रही है। विवादित आराजी को अपीलान्ट गैतवाड़ा के रुप में उपयोग करते आरहे हैं। योग्य अभिभापक का तर्क है कि विवादित आराजी में सिविल न्यायालय द्वारा दिनांक 3.4.2024 को यथास्थिति का स्थगन जारी किया हुआ है। तहत न्यायालय ने बिना कोई साक्ष्य लिये अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपील रवीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।


.....2
जिला कलक्टर
भरतपुर



(2)

अपील / 12 / 2024
मुकेश बनाम नायव तहसीलदार लखनपुर

पैरोकार सरकार ने जाहिर किया कि विवादित गैर मुमकिन नाला है। अपीलान्त ने विवादित आराजी पर घूरा डाल कर अतिक्रमण किया गया है। पटवारी हल्का एवं गिर्दावर की रिपोर्ट सही है। तहत न्यायालय ने विधिवत कार्यवाही करते हुये आदेश पारित किया है। पैरोकार सरकार का यह भी तर्क है कि कृषि भूमि से सम्बन्धित प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को नहीं है। अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभापक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। तहत पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का एवं गिर्दावर की रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्त ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 385/0.12 है0 के रकवा में से 0.005 है0 पर पटोर, डाल कर अतिक्रमण किया गया है। विवादित आराजी गैर मुमकिन नाला है, ऐसी भूमियाँ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित श्रेणी में आती हैं।

माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश नदबई के न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नि. 1 व 2 धारा 151 प्रार्थना पत्र की प्रति पेश की गई जिसमें अपीलान्त भी प्रार्थी दर्ज है, तथा माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायालय के आदेश दिनांक 03.04.2024 की सत्यप्रतिलिपि पेश की गई का अवलोकन किया गया, आदेश में अंकित किया है कि ".....उभय पक्षकारान की सहमति के आधार पर उभय पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे मौका कमिश्नर की रिपोर्ट के अनुसार मूल दावा निस्तारण तक मौके की यथास्थिति बनाये रखेंगे.....।"

अपीलान्त द्वारा राजकीय भूमि गैर मुमकिन नाला पानी बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण किये जाने पर अपीलान्त के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुये अपीलान्त को गैर मुमकिन नाला पानी बहाव क्षेत्र की भूमि से वेदखल करने जो आदेश दिये हैं विधिसम्मत हैं जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार अपीलान्त किसी भी प्रकार का रिलीफ पाने का अधिकारी नहीं है।

जहाँ तक प्रश्न माननीय सिविल न्यायालय के स्थगन आदेश का है इस सम्बन्ध में हम माननीय सिविल न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के निर्णय तक अपीलाधीन आदेश का क्रियान्वयन स्थगित किया जाना उचित पाते हैं।

साथ ही तहसीलदार नदबई को निर्देशित किया जाता है कि माननीय सिविल न्यायालय में विचाराधीन कृषि भूमि से सम्बन्धित प्रकरणों में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 207 के तहत राज्य सरकार का पक्ष से प्रस्तुत कर प्रभावी ढंग से पैरवी करें।


जिला कलक्टर
भरतपुर

.....3




(3)

अपील / 12/2024
मुकेश बनाम नायव तहसीलदार लखनपुर

अतः आदेश है कि :-

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। माननीय माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायालय नदवई में विचाराधीन प्रकरण में निर्णय होने तक नायव तहसीलदार लखनपुर तहसील नदवई का अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.3.2024 का क्रियान्वयन स्थगित किया जाता है। नायव तहसीलदार लखनपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे विवादित आराजी पर माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायालय नदवई के निर्णय उपरान्त, तदनुसार कार्यवाही करें। निर्णय प्रति के साथ तहत पत्रावली नायव तहसीलदार लखनपुर को वापिस लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.9.2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया।


(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर

